न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री अमित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
162 / 2025	13 / 06 / 2025	13 / 10 / 2025

1. हनुमान सहाय पुत्र मुरली (मृतक)
   1/1. बिदामी देवी पत्नी हनुमान सहाय
   1/2. महेश पुत्र हनुमान सहाय
   1/3. [illegible] पुत्र हनुमान सहाय
   1/4. सीताराम पुत्र हनुमान सहाय
2. हरसहाय पुत्र मुरली (दौराने प्रार्थना पत्र भूमि विक्रय)
3. ओमप्रकाश पुत्र मुरली
4. प्यारेलाल पुत्र मुरली
5. फूलचन्द पुत्र मुरली
6. रामजीलाल पुत्र मुरली
7. रामसिंह पुत्र मुरली
8. अर्जुन पुत्र मुरली
9. दाखा पत्नी मुरली (मृतक)

जातियान जाट निवासी ग्राम जयचन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. रामनारायण पुत्र रामनाथ।
3. भूरी बेवा रामनाथ।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री मुकेश शर्मा :– वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जमवारामगढ से हस्तान्तकरण होकर प्राप्त हुआ। जिसमें प्रार्थीगणों ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 231/1/1 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 231/2 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा अनुसार स्थित है। जो कि प्रार्थीगण के हकपूर्वज मुरली पुत्र तुलसीराम एवं अप्रार्थी सं0 2 व 3 के हकपूर्वज रामनाथ पुत्र तुलसाराम की आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त व विधिक हक अधिकार अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शें में तरमीमशुदा स्थित है जिसके अनुसार ही प्रार्थीगण अपने हक पूर्वज के जमाने से उक्त वर्णित भूमियात मे मौके पर पूर्ववत राजस्व नक्शे मे तरमीमशुदा अनुसार काबिज काश्त होकर काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसे आईन्दा वादग्रस्त आराजी लिखा गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण बतौर राजस्व रिकार्डेड खातेदार एवं विधिक हक अधिकारी के तहत मौके पर काबिज काश्तकारर चले आ रहे है एवं अपना राजस्व लगान भी स्वयं प्रार्थीगण स्वयं ही जमा कराते है। अभी हाल ही में हुए सेटलमेट के दौरान प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 231/1/1 के नवीन खसरा नम्बर 328 रकबा 0.01है0 व खसरा नम्बर 329 रकबा 1.49है0 अनुसार कायम किये गये है एवं खसरा नम्बर 231/2 के नवीन खसरा नम्बर 327 रकबा 0.20है0 अनुसार कायम किये गये एवं अप्रार्थीगण 2 व 3 के खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी एवं
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner

231/1/2 के नवीन खसरा नम्बर 330, 331 अनुसार बनाए गये है। प्रार्थीगण के हकपूर्वज मुरली पुत्र तुलसीराम एवं अप्रार्थीगण सं0 2, 3 के हकपूर्वक रामनाथ पुत्र तुलसीराम दोनों सगे भाई थे, जिनकी सामलाती बहिस्से बराबर अनुसार कृषि खसरा नम्बर 231 रकबा है जो कि मुरली रामनाथ पुत्रान तुलसीराम के आपसी सहमति द्वारा बंटवारे बाद खसरा नम्बर 231 के विभाजित खसरा नम्बर 231/1/2, 231/1/1, 231/2 अनुसार कायम किया जाकर आपसी दोनों पूर्वखातेदारों की सहमति मुताबिक ही राजस्व नक्शें में मौका नक्शा काबिज काश्त अनुसार मुताबिक आदेशानुसार राजस्व नक्शे को दुरूस्त व तरमीम किया गया, जिसके मुताबिक ही मुरली पुत्र तुलसीराम के वारीसान प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है, जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2,3 की उक्त भूमि सींवजोड स्थित है जिसके संबंध में पूर्व में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2 व 3 के मध्य कोई विवाद नही हुआ किन्तु अभी हाल ही मे सेटलमेंट में बने नये राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2 व 3 की भूमि के मध्य की तरमीमशुदा सींवरेखा को प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 231/1/1 के नवीन खसरा नम्बर 329 के राजस्व नक्शें मे अवैध व गलत तरमीम कर दिया गया, जो कि पूर्ववत तरमीमशुदा नक्शें अनुसार एवं मौके पर प्रार्थीगण के पूर्ववत कब्जे अनुसार ही तरमीम करना चाहिए था। हाल ही में जमवारामगढ क्षेत्र मे सवत 2066 में सेटलमेंट कार्यवाही हुई है जिसके चलते भू प्रबंध विभागीय अधिकारीयों ने प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि 231/1/1 के नवीन खसरा नम्बर 329, 330 कायम हुए नवीन खसरा नम्बर 329 के राजस्व नक्शें मे उत्तर दिशा की ओर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि मे वर्तमान राजस्व नक्शे मे चली आ रही पूर्वरत तरमीम के विपरित जाकर गलत नक्शा तरमीम करते हुए प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा की भूमि को नवीन खसरा नम्बर 331 में सम्मिलित रखते हुए सींवडोल रेखा की गलत तरमीम कर दिया, जिसका अधिकार भू प्रबंध विभाग को कतई ही नही था। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 व 3 की भूमियों के नये सेटलमेंट राजस्व नक्शें मे सींवडोल रेखा के अवैध व गलत तरमीम से भविष्य में सींवडोल खातेदारान के मध्य अनावश्यक सीमाओं के विवाद होने की सम्भावना हो चुकी है जिससे मोके पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूम को प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 231/1/1 के नवीन खसरा नम्बर 329 मे सम्मिलित कराने एवं दौराने सेटलमेंट राजस्व नक्शें में त्रुटिपूर्ण तरमीम इन्द्राज व अधिकार विहिन गलत तरमीम को दुरूस्त कराने का प्रार्थीगण अधिकारी है। दौराने भू प्रबंधक कार्यवाही प्रार्थीगण की भूमि का नवीन राजस्व नक्शा तरमीम करते समय प्रार्थीगण की भूमि के उत्तरी दिशा की भूमि को अप्रार्थीगण 2 व 3 के नक्शे मे रखते हुए प्रार्थीगण की भूमि के राजस्व नक्शें को संकीर्ण/संकुचित (छोटा) करते हुए पूर्ववत तरमीम के विपरित जाकर गलत तरमीम करने का विधिक अधिकार नही रहा है तथा भू राजस्व अधिकारीयों की तथाकथित कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्तनीय व प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त व हक अधिकारो के विरूद्व प्रभाव शुन्य है। अतः प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित वादांकित भूमि हाल खसरा नम्बर 231/1/1 के भू प्रबंधक नवीन खसरा नम्बर 329 के उत्तरी सींवरेखा एवं खसरा नम्बर 231/1/2 के भू प्रबंधक नवीन खसरा नम्बर 331 के दक्षिणी सींवरेखा लाईन को पूर्ववत दोनों राजस्व नक्शे की तरमीमानुसार व कब्जा मौका अनुसार दुरूस्त करने एवं तदानुसार दोनों पक्षों की भूमि के राजस्व नक्शों के मध्य की सींवजोड रेखा को पुनः तरमीम के आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी रजि0 ए0डी0 से करवाई गई। अप्रार्थीगणों को तलबी जरिये रजि0 से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुये। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी सं0 2 ता 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं01 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एलआर/25/5970 दिनांक 16.5.25 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने जवाब मे निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम जयचन्दपुरा के खसरा नम्बर 329 रकबा 1.49है0 किस्म चाही 3 खातेदार रामभरोस पुत्र हनुमान सहाय हि0 5/102 जाति जाट व अन्य के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व नक्शा ग्राम जयचन्दपुरा हाल के खसरा नम्बर 329 का रकबा बरारी करने पर उक्त खसरा नम्बर 329 का रकबा 1.33है0 पाया गया। उक्त खसरा नम्बर 329 का मुताबिक जमाबन्दी व मुताबिक नक्शें में रकबा 0.16है0 कम पाया गया। मौके पर प्रार्थी जमाबन्दी

Scanned with OKEN Scanner

सार रकबे पर काबिज काश्त है। अतः राजस्व रिकार्ड व मौका कब्जा अनुसार तरमीम दुरूस्त
ा जाना अपेक्षित है।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना
एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन करने तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा
त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को
शित किया जाता हैं कि ग्राम जयचन्दपुरा, पटवार हल्का जयचन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ में
उक्त वादांकित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 329 रकबा 1.49है0 के हाल नक्शे को जमाबन्दी
व प्रस्तावित साबिक नक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 13.10.2025 को खुले न्यायालय मे
ा।

उप खण्ड अधिकारी एवं
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner